तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 39/2017	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
22.12.2020	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी सरोज गुप्ता, ई–16, जी.ओ.एम. डिफेन्स, वैशाली नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर, खाद्य कारोबारकर्ता, सप्लायर व मालिक, फर्म मैसर्स लालगढिया कोल्ड चेन, जी–206, अम्बाजी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा उपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी सरोज गुप्ता की फर्म मैसर्स लालगढिया कोल्ड चेन से दिनांक 12.5.2016 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (ब्लेक करेंट ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-572 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./503/Act/2016/ 538 दिनांक 23.5.2016 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी सरोज गुप्ता की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी सरोज गुप्ता की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी के अधिवक्ता की आज दिनांक 22.12.2020 को बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (हेवमॉर ब्लेक करंट ब्राण्ड) का नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुरुप नही की गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ आइसक्रीम का नमूना अमित त्रिवेदी नाम के व्यक्ति को मैसर्स लालगडिया में मार्केटिंग एवं आईसक्रीम सप्लायर्स की हैसियत से मौजूद होना बताते हुए अमित त्रिवेदी से लिया जानां अंकित किया है, जबकि अमित त्रिवेदी उक्त फर्म का प्रोपराईटर नही है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म के प्रापेराईटर प्रतिवादी सरोज गुप्ता को नमूना लेने से पूर्व सूचित नही किया है व न ही प्रतिवादी की उपस्थिति में नमूना लिया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भी प्रतिवादी सरोज गुप्ता को नही भिजवाई है जिसके कारण प्रतिवादी उक्त नमूनें के द्वितीय भाग की जांच करवाने के अधिकार से वंचित रहा है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रकरण में अमित त्रिवेदी को पक्षकार नही बनाया है, इस कारण से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत यह न्याय निर्णयन आवेदन विधि अनुसार परिपोषणीय नही है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ आईसक्रीम का नमूना लेने से लेकर यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करने तक की कार्यवाही विधि अनुसार दूषित है, इसलिये प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:50:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 39/2017	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 12.5.2016 को फर्म मैसर्स लालगढिया कोल्ड चेन, जी–206, अम्बाजी रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर अमित त्रिवेदी पुत्र श्री लाभशंकर त्रिवेदी, जाति– त्रिवेदी, निवासी– भारजा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही फर्म मैसर्स लालगडिया कोल्ड चेन पर हेवमॉर आईसक्रीम लिमिटेड के प्रतिनिधि व आईसक्रीम सप्लायर की हैसियत से उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्ष अधिकारी द्वारा मैसर्स लालगढिया कोल्ड चेन के गोदाम के निरीक्षण हेतु अमित त्रिवेदी को कहे जाने पर अमित त्रिवेदी ने बताया कि मेरा कार्य मार्केट से आईसक्रीम की डिमान्ड आने पर फर्म लालगढिया कोल्ड चेन के माध्यम से आईसक्रीम सप्लाई कराना है, सीधे कोल्ड स्टोरेज में रखी आईसक्रीम पर हमारा अधिकार नही है, तब आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अमित त्रिवेदी को लालगडिया कोल्ड चेन के मालिक से बात कराने हेतु कहा जाने पर अमित त्रिवेदी ने लालगढिया कोल्ड चेन के प्रोपराईटर सरोज गुप्ता से दूरभाष पर बात करवाई, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सरोज गुप्ता को कोल्ड स्टोरेज में रखी आईसक्रीम के निरीक्षण हेतु कहा तो प्रतिवादी सरोज गुप्ता ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बताया कि वह अभी जयपुर है एवं श्री अमित त्रिवेदी को कार्य में सहयोग करने एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु दूरभाष पर अधिकृत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (हेवमॉर ब्लेक करेंट ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना अमित त्रिवेदी को गवाह श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री पूरण सिंह पुत्र माधुसिंह चौहान, जी– 207, इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही के समक्ष प्रपत्र प्रपत्र 5ए में भरकर दी व प्रपत्र 5ए में रसीद प्राप्त की। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 5ए पर अमित त्रिवेदी, उक्त गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लालगढिया कोल्ड चेन के गोदाम में कोल्ड स्टोरेज में बिक्री हेतु मौजूद आईसक्रीम (हेवमॉर ब्लेक करेंट ब्राण्ड) के 80 पैक्ड पेकेट (प्रत्येक 700 एम.एल.) में से आईसक्रीम (हेवमॉर ब्लेक करेंट ब्राण्ड) के 2 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 700 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 220/– (अक्षरे रुपये दो सौ बीस मात्र) अदा कर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरियल पर कोड एवं क्रमांक S–572, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्रय किये खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (हेवमॉर ब्लेक करेंट ब्राण्ड) के दोनों पैकेटों को खोलकर एक साफ सूखे बर्तन में डाली एवं आईसक्रीम Room Temperature पर आने के बाद पिघली हुई आईसक्रीम ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malviya
Date: 2021.01.10 16:50:18 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 39/2017	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

1200 ग्राम को चार कांच की साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा तथा प्रत्येक शीशी में 24–24 बूंदे फार्मेलीन की डालकर शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रत्येक नमूना शीशी पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-572 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर अमित त्रिवेदी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तैयार की जिसे अमित कुमार त्रिवेदी ने पढ सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर अमित त्रिवेदी, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (हेवमॉर ब्लेक करेंट ब्राण्ड) का एक नमूना भाग व फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा दिनांक 13.5.2016 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु भिजवाया एवं नमूने के शेष सीलबन्द तीन नमूना भाग व फार्म नं. 6 का सीलबन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 13.6.2016 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./503/Act/2016/538 दिनांक 23.5.2016 के अनुसार खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (हेवमॉर ब्लेक करेंट ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-572 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र संख्या:एफएसएसए/2017/2856–57 दिनांक 27.5.2016 के द्वारा अमित त्रिवेदी, लालगढिया कोलड चेन, जी–206 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़ को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाकर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर अपील आवेदन प्रारुप–8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन पुनः जांच हेतु प्रतिवादी ने आवेदन नही किया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी सरोज गुप्ता ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (हेवमॉर ब्लेक करेंट ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया एवं न ही इस न्यायालय में कोई बिल प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी सरोज गुप्ता की प्रोपराइटरी फर्म लालगढिया कोल्ड चेन द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (हेवमॉर ब्लेक करेंट ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उंक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:50:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 39/2017	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी सरोज गुप्ता, ई–16, जी.ओ.एम. डिफेन्स, वैशाली नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स लालगढिया कोल्ड चेन, जी–206, अम्बाजी रिको इण्डस्ट्रीयज एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी सरोज गुप्ता को आदेशित किया जाता है कि आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 29.1.2021 को पेश हो।

22/12/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:50:18 IST
Reason: SelfAttested